



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर दहेज उत्पीड़न व आत्महत्या के लिए उकसाने वाले 02 अभियुक्तों को 04-04 वर्ष के कारावास व ₹25,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जरिया में पंजीकृत मु०अ०सं०- 66/2021 धारा- 498ए,304बी, 376,120बी,306 भा०द०सं० व 3/4 दहेज प्रति० अधि० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय एफटीसी प्रथम/गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.सुनील कुमार पुत्र स्व० मंगल सिंह 2.किल्लू उर्फ हरिश्चन्द्र पुत्र लल्लू नि०गण ग्राम पंवाई थाना जरिया जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए 04-04 वर्ष का कारावास व ₹25,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री विशम्भर
पाल



विवेचक-
सीओ विवेक
यादव



पैरोकार- थाना जरिया
का० सन्तोष यादव